भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-2297
उत्तर देने की तारीख-09/12/2024

मध्याह्न भोजन योजना के लिए लेखापरीक्षा

†2297. **श्रीमती रुचि वीरा:**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश सहित देश के सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में मध्याह्न भोजन योजना के समुचित कार्यान्वयन की जांच करने के लिए कोई लेखापरीक्षा कराई है;
(ख) क्या विगत तीन वर्षों के दौरान विशेषकर उत्तर प्रदेश में ऐसी लेखापरीक्षाओं के पश्चात् कोई अनियमितताएं पाई गई हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार का विचार देश के सभी राज्यों में मध्याह्न भोजन योजना के कार्य-निष्पादन और कार्यान्वयन की सीमा तथा लेखापरीक्षा की समीक्षा करने के लिए एक व्यापक समिति गठित करने का है; और
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) और (ख) : राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (एनएफएसए) के तहत प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पीएम पोषण) सबसे प्रमुख अधिकार आधारित केंद्र प्रायोजित योजनाओं में से एक है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की धारा 28 में अन्य बातों के साथ-साथ यह परिकल्पना की गई है कि प्रत्येक स्थानीय प्राधिकरण, या कोई अन्य प्राधिकरण या निकाय, जिसे राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किया जा सकता है, योजना के कामकाज पर आवधिक सामाजिक लेखा परीक्षा आयोजित करेगा या करवाएगा तथा अपने निष्कर्षों को सार्वजनिक करेगा एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित तरीके से आवश्यक कार्रवाई करेगा। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सभी जिलों में कम से कम 20 स्कूलों या 2% स्कूलों में, जो भी प्रत्येक जिले के लिए अधिक हो, सामाजिक लेखा परीक्षा आयोजित करना आवश्यक है। सामाजिक लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर कार्रवाई करने और अनुपालन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी पीएम पोषण योजना को कार्यान्वित करने वाले राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के नोडल विभाग की है। उत्तर प्रदेश सरकार ने बताया है कि पीएम पोषण योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार सभी 75 जिलों में वर्ष 2022-23 के लिए 1500 स्कूलों में और वर्ष 2023-24 के लिए 1575 स्कूलों में सामाजिक लेखापरीक्षा की गई और यह प्रक्रिया चालू वर्ष 2024-25 के लिए जारी है। राज्य की रिपोर्ट के अनुसार सामाजिक लेखापरीक्षा के प्रमुख निष्कर्ष में सीतापुर, लखीमपुर खीरी, मऊ, गोंडा और बलरामपुर जिलों में रिकॉर्ड रखरखाव में अपर्याप्तता; तथा लखीमपुर और हरदोई जिलों में सीसीएच हेतु दस्ताने और एप्रिन की अनुपलब्धता थी। साथ ही, राज्य सरकार ने बताया कि सामाजिक लेखा परीक्षा के दौरान पाई गई कमियों को दूर करने के लिए कार्रवाई की जा रही है।

(ग) और (घ) : पीएम पोषण को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझेदारी में कार्यान्वित किया जाता है और योजना के सुचारू संचालन की पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन की होती है। इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं एवं सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को इन दिशा-निर्देशों का पालन करने की सलाह दी गई थी। कार्यकुशलता और प्रभावशीलता में सुधार लाने के लिए योजना में अन्य बातों के साथ-साथ विस्तृत निगरानी तंत्र अर्थात माननीय केंद्रीय

शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में अधिकार प्राप्त समिति, सचिव (डीओएसईएंडएल) की अध्यक्षता में कार्यक्रम अनुमोदन बोर्ड (पीएबी), मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य संचालन-सह-निगरानी समिति, लोकसभा के वरिष्ठतम सांसद की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय संचालन-सह-निगरानी समिति का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त, पोषण विशेषज्ञों से युक्त संयुक्त समीक्षा मिशन (जेआरएम) क्षेत्रीय दौरों के माध्यम से योजना की समीक्षा करते हैं तथा आवधिक रूप से जब भी अपेक्षित हो जमीनी स्तर पर योजना के वास्तविक कार्यान्वयन का आकलन करते हैं। इन दिशा-निर्देशों में, अन्य बातों के साथ-साथ, स्कूलों को भोजन तैयार करने के लिए एगमार्क गुणवत्ता और ब्रांडेड वस्तुएं खरीदने, रसोइया-सह-सहायकों को प्रशिक्षण देने, बच्चों को गर्म भोजन परोसने से पहले कम से कम एक शिक्षक सहित स्कूल प्रबंधन समिति के सदस्यों द्वारा भोजन चखने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त, मिड डे मील नियमावली, 2015 में सरकारी खाद्य अनुसंधान प्रयोगशाला या किसी प्रत्यायित या कानून द्वारा मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला द्वारा खाद्य नमूनों की अनिवार्य जांच का प्रावधान है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भोजन पोषण संबंधी मानकों और गुणवत्ता के अनुरूप है। भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) को सर्वोत्तम उपलब्ध गुणवत्ता वाले खाद्यान्न उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी दी गई है, जो किसी भी स्थिति में कम से कम उचित औसत गुणवत्ता (एफएक्यू) का होगा। प्रधानमंत्री पोषण योजना के अंतर्गत खाद्यान्न की आपूर्ति में आने वाली विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए भारतीय खाद्य निगम प्रत्येक राज्य में एक नोडल अधिकारी नियुक्त करता है।

*****